मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
26, किसान भवन, अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल

क्र./बोर्ड/लेखा/NPS/20–21/273 | भोपाल, दिनांक 01.03.2021

प्रति,

सचिव,
कृषि उपज मंडी समिति, (समस्त)।

विषयः– राज्य मंडी बोर्ड सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों की बोर्ड मुख्यालय को भेजी जाने वाली NPS राशि को NEFT/RTGS के माध्यम से प्रेषण करने बाबत्।

संदर्भ :– मुख्यालय का पत्र क्र./बोर्ड/लेखा/20–21/2243 दिनांक 20.01.2021।

संदर्भित पत्र अनुसार प्रत्येक माह 01 से 10 तारीख तक गत/पूर्व माह के देय वेतन से कटौत्रा (कर्मचारी अंशदान + नियोक्ता अंशदान) NPS राशि का अंतरण परिभाषित अंशदान पेंशन योजना खाता क्र. 651019015061 में किया जाकर उसी दिन ई–अनुज्ञा पोर्टल के NPS पेज पर लेखापाल लॉगिन से UTR NO. की जानकारी तथा अधिकारियों/कर्मचारियों की माहवार प्रविष्टी की जाना अनिवार्य है।

किन्तु परिभाषित अंशदान पेंशन योजना खाता क्र. 651019015061 में माह फरवरी 2021 में प्राप्त राशि का बैंक स्टेटमेंट से मिलान पश्चात् यह पाया गया कि कुल 136 मंडियो ने ही दिनांक 01.02.2021 से 11.02.2021 तक NPS राशि भिजवायी है। शेष मंडी समितियो द्वारा **उदासीनतापूर्वक** NPS राशि दिनांक 12.02.2021 के पश्चात् परिभाषित अंशदान पेंशन निधि खाता क्र. 651019015061 में भेजी गयी तथा कुछ मंडी समितियों ने NPS राशि **लापरवाहीपूर्वक** मुख्यालय के खाता क्र. 151001956750 में भिजवा दी है, जिससे उन राशियों का मिलान **असुविधाजनक** और **भ्रमपूर्ण** बन गया।

अतः मंडी समितियों को पुनः निर्देशित किया जाता है कि **NPS राशि का अंतरण परिभाषित अंशदान पेंशन योजना खाता क्र. 651019015061 में बिना विलंब प्रत्येक माह के 01 से 10 तारीख तक ही किया जाना है तथा उसी दिन ई–अनुज्ञा पोर्टल के NPS पेज पर लेखापाल लॉगिन से UTR NO. की जानकारी तथा अधिकारियों/कर्मचारियों की माहवार प्रविष्टी की जावे। इसके पश्चात् यदि NPS की कोई अवशेष राशि भेजी जाना है तो वह अगले माह की 01 से 10 तारीख तक ही भेजी जावे। विलंब की स्थिति में यदि कोई देयता उत्पन्न होती है तो इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित मण्डी सचिव की होगी।** मुख्यालय के संदर्भित पत्र में दिये गये निर्देशो का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें।

कार्यवाही अपर संचालक (वित्त) द्वारा अनुमोदित

लेखाधिकारी
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
26, किसान भवन, अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल

क्र./बोर्ड/लेखा/20–21/2243 भोपाल, दिनांक 20.01.2021

प्रति,

1. संयुक्त संचालक/उपसंचालक,
   म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
   आंचलिक कार्यालय समस्त।
2. कार्यपालन यंत्री,
   तकनीकी संभाग (समस्त)।
3. सचिव,
   कृषि उपज मंडी समिति, (समस्त)।

विषयः– राज्य मंडी बोर्ड सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों की बोर्ड मुख्यालय को भेजी जाने वाली **NPS** राशि को NEFT/RTGS के माध्यम से प्रेषण करने बाबत्।

प्रदेश की 259 मंडिया, 07 संभागीय कार्यालय व 13 तकनीकी कार्यालय में पदस्थ राज्य मण्डी बोर्ड सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों के आगामी/प्रतिमाह वेतन से कटौत्रा राशि (कर्मचारी अंशदान + नियोक्ता अंशदान राशि) इलेक्ट्रानिक माध्यम (NEFT/RTGS) से बोर्ड मुख्यालय को भेजी जानी है। यह व्यवस्था माह जनवरी 2021 के देय वेतन से कटौत्रा राशि (कर्मचारी अंशदान + नियोक्ता अंशदान राशि), जो 01 फरवरी 2021 व उसके पश्चात् भेजी जायेगी, से प्रभावशील होगी।

उक्त व्यवस्था के सुचारू कियान्वयन के लिए समस्त आंचलिक कार्यालय, तकनीकी संभाग व मंडी समितियां निम्न निर्देशों अनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

1. आपके कार्यालय से भेजी जाने वाली **NPS** राशि बोर्ड मुख्यालय स्तर पर संधारित निम्नलिखित बैंक खातो में NEFT/ RTGS से अंतरण कराना होगा।

क्र.	निधि का नाम	बैंक का नाम तथा शाखा	खाता क्रमांक	आई.एफ.एस.सी. कोड
1.	परिभाषित अंशदान पेंशन निधि (NPS राशि)	भोपाल को–ऑपरेटिव सेन्ट्रल बैंक लि. शाखा–मंडी बोर्ड भोपाल	651019015061	CBIN0MPDCAE

2. प्रत्येक माह के 01 से 10 तारीख तक गत/पुर्व माह के देय वेतन से कटौत्रा (कर्मचारी अंशदान + नियोक्ता अंशदान) **NPS** राशि का अंतरण उपरोक्त संबंधित खाते में किया जाकर उसी दिन ई–अनुज्ञा पोर्टल के **NPS** पेज पर लेखापाल लागिन से **UTR NO.** की जानकारी तथा अधिकारियों/कर्मचारियों की माहवार प्रविष्टी की जाना अनिवार्य है। इस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की त्रुटि अथवा विलंब होने पर संबंधित कार्यालय प्रमुख व लेखा प्रमुख पर उचित कार्यवाही की जा सकेगी।

उदाहरण के लिये – जनवरी 2021 के वेतन से कटौत्रा NPS राशि जो कि दिनांक 01 फरवरी 2021 व उसके पश्चात् भेजी जायेगी।

3. बैंक के NEFT/ RTGS फार्म में Sender to Reciever Message Column (field 7495) मण्डी स्थल का नाम अंकित करवाये। प्रथम बार NPS राशि भेजने पर इस संबंध में अपने बैंक के शाखा प्रबंधक को भी अवगत करवाये।
   उदाहरण के लिये – (अ) **कृषि उपज मंडी समिति इंदौर** द्वारा बैंक के NEFT/ RTGS फार्म में Sender to Reciever Message Column (field 7495) में **INDORE** अंकित करेंगे।
   (ब) **आंचलिक कार्यालय इंदौर/तकनीकी संभाग इंदौर** द्वारा बैंक के NEFT/ RTGS फार्म में Sender to Reciever Message Column (field 7495) में DIV INDORE / TECH INDORE अंकित करेंगे।
4. 259 मंडिया, 07 संभागीय कार्यालय व 13 तकनीकी कार्यालय में पदस्थ राज्य मण्डी बोर्ड सेवा के किसी अधिकारी/कर्मचारी के गत माह के वेतन से किसी कारणवश पूर्ण कटौत्रा नही किया जाता है तो गत माह के अपूर्ण कटौत्रा को ई–अनुज्ञा पोर्टल के NPS पेज पर "Regular > गत माह का नाम" से प्रविष्टी किया जाना होगा। जब भी अधिकारी/कर्मचारी के बचे हुए कटौत्रा को बाद के किसी माह में भिजवाया जाये तो बचे हुए कटौत्रा को ई–अनुज्ञा पोर्टल के NPS पेज पर "Arrears > Remarks" प्रविष्टी किया जाना होगा।
5. ई–अनुज्ञा पोर्टल के NPS पेज पर किसी अधिकारी/कर्मचारी की किसी भी माह की एक ही आदर्श प्रविष्टी "Regular > माह का नाम" से ही की जा सकेगी। अन्य स्थिति जैसे; रूकी हुई NPS राशि अथवा परिवीक्षा अवधि समाप्त होने पर हुआ अंशदान कटौत्रा की प्रविष्टी "Arrears > Remarks" की जायेगी।
6. यदि मिलान में कोई त्रुटि/अंतर परिलक्षित होता है, तो इसकी सूचना मुख्यालय द्वारा संबंधित कार्यालय को दी जावेगी, संबंधित कार्यालय द्वारा तत्काल इसका निराकरण कराया जाकर अवगत कराया जायेगा। त्रुटि की सूचना तथा समाधान का आदान प्रदान ई–मेल के माध्यम से ही होगा।
7. 259 मंडिया, 07 संभागीय कार्यालय व 13 तकनीकी कार्यालय में पदस्थ राज्य मण्डी बोर्ड सेवा के किसी अधिकारी/कर्मचारी का किसी कारणवश NPS अंतर्गत PRAN खाता नही खुला है तो उनकी CPF राशि पूर्ववत् प्रक्रिया अनुसार ही पूर्व में उपलब्ध खाते में ही भिजवायी जायेगी।
8. उक्तानुसार प्रेषित की गई राशि का कार्यालय स्तर लेखांकन पूर्वानुसार ही संधारित किया जावेगा।
9. उपरोक्त NPS राशि के अंतरण में यदि कार्यालय स्तर एवं बैंक स्तर पर कोई कठिनाई/व्यवधान उत्पन्न होता है, तो इस संबंध में कार्यालयीन समय में श्री राहुल कुमार चौहान, लेखापाल से संपर्क (8982713841) किया जायें।

पृष्ठ क्र. 01 व 02 पर दिये गये निर्देशो का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें।

<u>कार्यवाही प्रबंध संचालक महोदय द्वारा अनुमोदित</u>

अपर संचालक (वित्त)
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल

क्र./बोर्ड/लेखा/20-21/ भोपाल, दिनांक .01.2021

प्रतिलिपि :-

1. निज सहायक, प्रबंध संचालक म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
2. आदेश नस्ती/लेखा शाखा।

अपर संचालक (वित्त)
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल